



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17905

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 44785/2025

शिल्पी गुप्ता

.....याची

बनाम

अपर आयुक्त (प्रथम) चित्रकूट एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: चंद्र प्रकाश कुशवाहा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: अचल सिंह, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 2

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी संख्या 1- अपर आयुक्त (प्रथम), चित्रकूट धाम मंडल, बांदा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 एवं 5 द्वारा याची के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 को रद्द किया जाए, जो वाद संख्या 1115/25, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या सी202507000001115 के रूप में पंजीकृत था।
2. उपरोक्त से व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 4 एवं 5 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष धारा 151 सीपीसी (सिविल प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक-9 के रूप में संलग्न है। उक्त आवेदन पर याची ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है।
3. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक बार जब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत कोई आदेश पक्षकारों के बीच अंतिम (फाइनल) हो चुका है, तो निजी प्रत्यर्थियों द्वारा धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत दायर आवेदन पोषणीय (मैटेनेबल) नहीं हैं।
4. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अचल सिंह को सुना एवं अभिलेखों का अवलोकन किया।
5. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 15.07.2025 को रिकॉल (वापस लेने) के लिए निजी प्रत्यर्थियों द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत दायर आवेदन प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष विचाराधीन है और याची वे सभी आपत्तियां उठाने के लिए स्वतंत्र है जो उसने इस रिट याचिका में इस न्यायालय के समक्ष उठाई हैं।
6. इस मामले को देखते हुए, याची द्वारा मांगी गई राहत में हस्तक्षेप किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 1 को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि वे संबंधित पक्षकारों को अनावश्यक स्थगन दिए बिना उपरोक्त आवेदन पर शीघ्रता से उचित आदेश पारित करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. चूँकि रिट याचिका का निस्तारण प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना एकपक्षीय रूप से किया गया है, अतः आज पारित आदेश का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय दी है और प्रत्यर्थी संख्या 1 कानून के अनुसार और प्रभावी कानूनी जनादेश के आधार पर स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे।

(माननीय प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

27 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"